

प्रार्थी
कल्याणसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत
निवासी छावटा खुर्द तहसील जायल
जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

- सुरेश कुमार आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल
तहसील जायल जिला
नागौर वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 19 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुक्म तारीख जारी हुए
20.02.2020	<p>प्रार्थी ने धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल के यहां विचाराधीन राजस्व विविध प्रकरण संख्या-16/2019 धर्मीला बनाम कल्याणसिंह व अन्य प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 19.03.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलक्टर, नागौर</p>	
19-03-20	<p>वकुलाय ने आज न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल मुत्तकिल प्रार्थना पत्र फैसल हो जाने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र स्वास्जि किया जाता है आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार दोहर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(दिनेश कुमार यादव) कलक्टर, नागौर</p>	

